निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड
23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

संख्या 1279/03/कैंटीन/प्रावि0/नि0को0पें0ह0/2017 दि0 12 जून,2017

निविदा फार्म

अन्तिम तिथि 28.06.2017
निविदा प्राप्ति का समयः 2.00 बजे अपरान्ह तक

धरोहर धनराशि ₹ 5,250.00

फार्म का मूल्य	₹	150.00
व्यापार कर	₹	23.00
योग	₹	173.00

1. तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा संलग्न है।
2. कैंटीन संचालन की कार्यावधि एक वर्ष होगी।
3. नियम व शर्तें निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं।

हस्ताक्षर
जारीकर्ता अधिकारी
सील

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदादाता

फर्म का नाम ....

पता एवं सील सहित.................................

प्रमाण–पत्र

मैं.. पुत्र श्री .... फर्म का नाम/पता ....

.... यह घोषणा करता हूं कि मुझे उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित सभी शर्तें स्वीकार हैं। यदि मैं किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहता हूं जिसके फलस्वरूप यदि कोई विभागीय कार्यवाही फर्म/आवंटी के विरूद्ध की जाती है, तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

दिनांक ....

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम/पता सहित

फर्म की मोहर सहित :–

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

तकनीकी निविदा (Technical Bid)

अन्तिम तिथिः–28.06.2017

वांछित अभिलेख / प्रमाण पत्र :–

कैंटीन संचालन हेतु निविदादाताओं के लिए वांछित अभिलेख / प्रमाण पत्रों का क्रमवार विवरण :–

1. फर्म का नाम
2. पता
3. दूरभाष नम्बर
4. फर्म के मालिक / साझेदारों का नाम
5. व्यापार / सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण–पत्र
   (पंजीकरण संख्या, पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
6. फर्म का टिन नं0 (छाया प्रति संलग्न करें)
7. फर्म का आयकर पैन नं0
8. किसी भी प्रतिष्ठान में कैंटीन संचालन का दो वर्ष का अनुभव।
9. स्वास्थ्य विभाग / नगर निगम से कैंटीन / भोजन का लाईसेंस की छाया प्रति संलग्न करें।
10. राजकीय विभाग / संस्थान से विधिक विवाद न होने / किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में न डाले जाने का शपथ–पत्र संलग्न करें।
11. अन्य विवरण, यदि कोई हो–
12. संलग्नकों का विवरण–

धरोहर धनराशि (Earnest Money)

धरोहर धनराशि ₹ 5,250/– (₹ पांच हजार दो सौ पचास मात्र) जो निदेशक, कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से बन्धक होगी :–

एफ0डी0आर0सं0 / डिमान्ड ड्राफ्ट सं0 / ....

दिनांक ....

निर्गत शाखा का नाम..

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता / निविदादाता

नाम ....

पता ....

(सील सहित)

निदेशालय कोषागार, पेंशन एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

अन्तिम तिथिः– 28.06.2017

क0सं0	कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (धनराशि रू0 में
1	2	3
1–	निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून परिसर में स्थापित कैंटीन संचालन करने हेतु उच्चतम धनराशि जो प्रस्तावित हो।	अंकों में .... शब्दों में.. ....

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता / निविदादाता

नाम ....

पता ....

(सील सहित)

कैंटीन का संचालन करने के लिये नियम एवं शर्ते

(निविदा फार्म भरने से पूर्व शर्तों/नियमों का पूर्ण रूप से भली–भांति अध्ययन कर लिया जाय।)

01. निविदा कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी। जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

02. कैंटीन प्रातः 8:00 बजे से शुरू होकर सांयकाल 6:00 बजे तक खुली रहेगी।

03. निविदादाता जिसे आगे चलकर कैंटीन आवंटी कहा गया है, के द्वारा एक सुझाव पुस्तिका रखी जायेगी। जिसका उनके द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर सुझावों का निराकरण भी मौके पर ही किया जायेगा।

04. खाद्य पदार्थों की निर्धारित/अंकित विक्रय दर से अधिक का मूल्य कार्मिकों/ग्राहकों से नहीं लिया जायेगा। विक्रय सामानों की सूची प्रमुखता से टंकित कर प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी। अनुबन्ध की अवधि में खाद्य पदार्थों (खान–पान) की दरों में कोई परिर्वतन मान्य नहीं होगा।

05. कैंटीन में खाद्य सामग्री तैयार करने व सहायता करने हेतु प्रशिक्षित के साथ–साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं दक्ष केवल पुरूष वर्ग को रखना होगा। पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह समय से रखे गये श्रमिकों को आवंटी द्वारा किया जाना होगा। पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की पूर्ण जवाबदेही कैंटीन आवंटी की ही होगी।

06. कैंटीन में कार्यरत श्रमिक/हैल्परों को साफ–सुथरी आसमानी वेशभूषा (वर्दी) में होना चाहिये। वेशभूषा की आपूर्ति/उपलब्धता स्वयं के व्यय पर कैंटीन आवंटी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी। रखे गये श्रमिक/हैल्पर प्रत्येक कार्यदिवस में निर्धारित वेशभूषा (वर्दी) में ही रहेंगे, यह आवश्यक होगा।

07. कैंटीन में कार्यरत श्रमिकों/हैल्परों का कार्य एवं व्यवहार उत्तम सेवा देने का होना चाहिये। यदि रखे गये किसी कर्मी का कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है या मौके पर पायी जाती है तो उसे आवंटी द्वारा तुरन्त पृथक करते हुए उसके स्थान पर नये कर्मी को रखना होगा। श्रमिकों/हैल्परों की संख्या इस ढंग से रखी जानी होगी कि दी जाने वाली सेवा किसी भी प्रकार से बाधित न होने पायें तथा विलम्ब की स्थिति किसी दशा में उत्पन्न न हो। रखे जाने वाले श्रमिकों/हैल्परों का सम्बन्धित थाने से पुलिस वेरीफिकेशन कराकर प्रमाण–पत्र की छाया प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

08. खाद्य सामग्री बनाने के लिये प्रयोग होने वाले बर्तन, ईंधन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। कैंटीन कक्ष तथा उसके आस–पास की जगह को हमेशा साफ–सुथरा रखना होगा। आस–पास की जगह की सफाई व्यवस्था, जूठन आदि निश्चित स्थान/दूर फिंकवाने की जिम्मेदारी स्वयं कैंटीन आवंटी की होगी। जूठन, कूड़ा आदि के लिये कम से कम दो बड़े डस्टबिनों की व्यवस्था आवंटी द्वारा की जायेगी और इनका रख–रखाव भी उन्हीं के स्तर से रखा जायेगा। जूठन, बची हुई खाद्य सामग्री खुले स्थान पर बाहर फेंकना पूर्णतः वर्जित

होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने की स्थिति में इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आवंटी की ही होगी।

09. कैंटीन में ऐसी वस्तुयें जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटके तथा तम्बाकू आदि का न तो भण्डारण करेगा न ही बेचेगा अर्थात् इन्हें रखना पूर्णतः वर्जित होने के साथ–साथ मांस–मदिरा रखना/तैयार करना/सेवन करना भी वर्जित होंगे। निदेशक को अशुद्ध वस्तुओं की बिक्री रोकने व उन्हें हटाने का आदेश देने का पूर्ण अधिकार होगा। धूम्रपान की स्थिति में दोषी पाये जाने पर जो भी दण्ड सरकार द्वारा निर्धारित होगा उसे आवंटी द्वारा जमा करना होगा।

10. कैंटीन कक्ष एवं परिसर में आवंटी अथवा आवंटी द्वारा रखे गये श्रमिक/हैल्परों का रात्रि निवास वर्जित होगा अर्थात् वह रात्रि में निदेशालय परिसर में निवास नहीं कर सकते हैं। बालश्रम वर्जित होने के साथ रखे जाने वाले कर्मी बाल श्रमिक भी नहीं होने चाहिये।

11. विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी किसी भी समय बिक्री हेतु रखी गयी वस्तु, खाद्य सामग्री, तैयार की गयी सामग्री का औचक निरीक्षण किया जायेगा, कैंटीन आवंटी द्वारा उन्हें थोड़ी–थोड़ी मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। बिक्री हेतु रखी गयी वस्तुयें/तैयार की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता व ताजगी में कोई कमी पायी जाती है तो निदेशक को पूर्ण अधिकार होगा की वह सात दिन पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें। इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। कम्पनी के ब्रान्डेड सामानों को रखना/निर्धारित दरों पर बेचना व उसी आधार पर खाने हेतु खाद्य सामग्री तैयार कर बिक्री हेतु रखी जानी होगी।

12. कैंटीन कक्ष व निर्धारित परिसर में उपभोक्ताओं के बैठने हेतु फर्नीचर आदि की पूरी व्यवस्था आवंटी को करनी होगी। निर्धारित परिसर के अलावा अन्य किसी भाग को आवंटी द्वारा अतिक्रमित नहीं किया जायेगा।

13. यदि किये गये अनुबन्ध की समय अवधि से पूर्व संचालक को किन्हीं कारणों से किया गया अनुबन्ध समाप्त करना पड़े तो इसके लिये तीन माह का नोटिस दिया जाना होगा। बिना नोटिस दिये समय अवधि से पूर्व अनुबन्ध किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जायेगा/नहीं माना जायेगा। समय से नोटिस न दिये जाने और आवंटी द्वारा सेवायें बन्द कर दिये जाने की दशा में सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. कैंटीन संचालन हेतु न्यूनतम बोली का कोई प्राविधान नहीं है। अपितु उच्चतम बोली के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

15. यदि कैंटीन आवंटी द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निदेशक को पूरा अधिकार होगा कि सुरक्षा धनराशि जिसका आगे उल्लेख किया गया है, को जब्त करते हुए किये गये अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने की कार्यवाही कर सकता है।

16. दो अथवा दो से ज्यादा निविदादाताओं द्वारा समान बोली भरे जाने की स्थिति में किसी एक निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का पूरा अधिकार निदेशक, कोषागार को होगा। यदि कोई आपत्ति की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी।

17. कैंटीन कक्ष का प्रयोग केवल जलपान/खान–पान के लिये इस्तेमाल में लाया जायेगा। इसमें चाय, काफी, दूध, लस्सी, नमकीन, बेकरी का सामान अण्डा व उससे तैयार किये गये अन्य सामान, साफ्ट ड्रिंक्स, शाकाहारी नाश्ता तथा शाकाहारी भोजन इत्यादि बेचा जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान पूर्व विभागीय अनुमति के बिना नहीं बेचा जायेगा।

18. कैन्टीन में वस्तुयें औसत बाजार भाव के अनुसार ही बेची जानी होगी तथा निदेशालय कोषागार के अधिकारियों/कर्मचारियों (मुख्य भवन, साईबर ट्रेजरी एवं डाटा सेन्टर अर्थात् दोनों भवनों में कार्यरत सभी कर्मी, भारतीय स्टेट बैंक के स्टाफ को छोड़ते हुए) चाय, काफी, दूध व खाने हेतु तैयार की जाने वाली सभी खाद्य सामग्रियों में सामान्य दरों से 25 प्रतिशत कम दर पर सामग्री उपलब्ध कराया जाना होगा। सभी खाद्य सामग्रियों की दरें इस प्रकार निर्धारित की जानी होगी जो बाजार भाव तथा नजदीक की अन्य विभागीय कैंटीनों की दरों से किसी भी दशा में अधिक न हो।

19. आवंटी कैंटीन कक्ष एवं कैटीन परिसर में किसी भी प्रकार की तोड़–फोड़/विस्तार नहीं करेगा। यदि किसी प्रकार की मरम्मत आदि की जानी हो तो इसके लिये लिखित में अनुरोध किया जाना होगा।

20. कैंटीन के लिये अलग से जो विद्युत सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। विद्युत बिल का भुगतान प्रत्येक माह कैंटीन आवंटी द्वारा किया जायेगा। विद्युत बिल भुगतान अवशेष की दशा में उसका भुगतान आवंटी द्वारा ही किया जायेगा। पानी की व्यवस्था निःशुल्क दी जायेगी। स्थापित टंकी के अलावा रिर्जव पानी के लिये आवंटी द्वारा अलग से अपने व्यय पर टंकी आदि की व्यवस्था करनी होगी।

21. आवंटी कैंटीन कक्ष को किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से किराये पर नहीं देगा और न कोई असामाजिक अथवा अवैद्यानिक कार्य होने देगा।

22. यदि महानगर पालिका कोई कर लगाती है तो आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम व अन्य किसी वांछित लाईसेंस की व्यवस्था आवंटी को स्वयं करनी होगी। इसके लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23. कैंटीन किराया प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। बिजली का बिल प्राप्त होते ही विद्युत विच्छेदन की तिथि से पूर्व बिल की धनराशि भी नकद रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि आवंटी द्वारा किराया तथा विद्युत बिल की धनराशि कार्यालय में समय से जमा नहीं की जाती है और इसमें अड़चन पैदा होती है तो अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

24. समय–समय पर आयोजित होने वाले वर्कशाप, सेमीनार, मीटिंग इत्यादि कार्यक्रमों में आवश्यकता पड़ने पर आवंटी को खाने तथा जलपान आदि की व्यवस्था भी करनी होगी।

ऐसे कार्यक्रमों जिसकी सूचना पहले से दी जायेगी, मांगनुसार खाने की दरें अलग से निर्धारित कर दी जायेगी और उन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी।

25. आवंटी और रखे गये श्रमिकों/हैल्परों के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना घटित होती है तो उसका दायित्व विभाग/उत्तराखण्ड शासन का नहीं होगा। सम्बन्धित आवंटी इस हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

26. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

27. सफल निविदादाता को रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तों की सहमति का अनुबन्ध पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देय स्टाम्प डयूटी निविदादाता द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

28. अगर न्यायालय में कोई वाद योजित होता है तो वह देहरादून स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

29. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर रू0 12,500.00 (रू0 बारह हजार पांच सौ मात्र) सुरक्षा धनराशि के रूप में बैंक सावधि जमा/बैंक गारंटी जो निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बन्धक होगी, बन्धक स्वरूप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसकी वैधता कार्यादेश के निर्गत होने की तिथि से 14 माह होगी।